बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –73/2016– /पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, बांका के परिसर में डिपोजिट वर्क अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 500 KVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन सहित 11 KVA HTS-I लाईन पहुँचाने तथा परिसर से गुजर रहे High Tension Transmission Line को हटाने से संबंधित कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रू॰ 6,66,000=00 (छः लाख छियासठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बांका के पत्रांक–76, दिनांक 26.11.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गए प्राक्कलन के आधार पर संस्थान के परिसर में डिपोजिट वर्क अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा 500 KVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन सहित 11 KVA HTS-I लाईन पहुँचाने तथा परिसर से गुजर रहे High Tension Transmission Line को हटाने से संबंधित कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स सहित कुल रू॰ 6,66,000=00 (छः लाख छियासठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के ''मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय'' (विपत्र कोड–पी 4202021040102) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बांका होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, बांका से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C)(1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, बांका को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –73/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –73/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –73/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –73/2016– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰ प्रा॰(III) यो॰ –73/2016– 110 /पटना, दिनांक– 13-1-2017

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव
13/01/17